160

न्यायालय श्री मान् राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियार कैम्प रीवा म0प्र0

R 5099-II/16

लाले जी शाह तनय मनदेव शाह उम्र 75 वर्ष निवासीग्राम विलौजी तेलियान तहसील सिगरौली जिला सिगरौली म0प्र0 ,----आवेदक

बनाम

शासन म0प्र0 ---अनावेदक

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा दिनांक 22-12-F ज प्रकरण क्रमांक 1597/अपील-11-12

शिवप्रसाद द्विवेदी 23.2.16

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुतहै:-

1- अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश सर्वथा विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया तथा सिद्धान्तो के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है।

2- अधीनस्थ न्यायालयों ने इस पर विचार नहीं किया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के अनुसार राजस्व रिकार्डमें इन्द्राज किये जाने जो प्रार्थना तहसीलदार के न्यायालय में किया गया है वह मूल प्रकरण तहसीलदा ने कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया और कलेक्टर महोदय ने दिनांक 15-5-12 को आवेदन निरस्त कर तहसील न्यायालय में वापस भेज दिया जो अवैधानिक ए अधिकार बिहीन है।

3-माननीय व्यवहार न्यायालयधीश वर्ग। वैढन के व्यवहार क्रमांक 1ए/08 डिक्री दिनांक 27-10-10के अनुसार आवेदक को ग्राम गढ़ियानी स्थित आराजी ख0न0 1159 रकवा 2.324हे0 ,1163 रकवा 0.567हे0 ,1194 रकवा 0.5 1231 रकवा0.809हे0 कुल 4 किताबोग रकवा 4.241 हे0 के भूमिस्वामी व अधिपत्यधारीघोषित किया गया।

4- व्यवहार न्यायालय द्वारा जो घोषणा त्मक आज्ञाप्ति पारित की गई उसके आलोक में तहसीलदार द्वारा धारा 109/110 के उपबन्धों के अधीन इन्द्राज करने का आदेश देना चाहिये था, जो कि व्यवहार न्यायाला के आज्ञप्ति व

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5099–दो/16 जिला–सिंगरौली

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद द्विवेदी द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1597/अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 22.12.15 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। 2– मेरे द्वारा आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक लाल जी साहू ने माननीय व्यवाहार न्यायाधीश वर्ग–1 सिंगरौली म0प्र0 के व्यवहारवाद प्रकरण कमांक 01ए/08 आदेश दिनांक 27.10.10 के अनुसार राजस्व अभिलेख दुरूस्त कराने हेतु तहसीलदार तहसील सिंगरौली के न्यायालय में दिनांक 3.1.11 को आवेदन पेश कियां तहसीलदार ने पटवारी का प्रतिवेदन मंगाकर प्रकरण कमांक 1240/अ–74/10–11 आदेश दिनांक 29.10.11 में यह लेख किया कि विवादित आराजी वर्तमान में म0 प्र0 शासन दर्ज अभिलेख है। अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 25.5.08 में यह आदेशित	

किया गया है कि शासकीय भूमि को निजी स्वत्व के दर्ज कराने की कार्यवाही नहीं की जावेगी। निजी हक में दर्ज कराने के प्रकरण को कलेक्टर/अपर कलेक्टर सिंगरौली की अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जावे। तहसीलदार द्वारा उक्त आदेश के पालन में कलेक्टर जिला सिंगरौली के न्यायालय में भेजा। कलेक्टर जिला सिंगरौली द्वारा आवेदक को साक्ष्य हेतु आहूत किया। कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.5.12 में यह आदेश पारित किया कि आवेदक द्वारा वयवाहर न्यायालय के कथित निर्णय/डिक्री की कोई प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई है इस कारण से आवेदक को अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ और आवेदक द्वारा उक्त आदेश का पुनर्विलोकन प्रस्तुत किया जो कलेक्टर जिला सिंगरौली द्वारा दिनांक 27.8.12 को निरस्त कर दिया गया। इसी से परिवेदति होकर आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 22.12.15 को कलेक्टर का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई । अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का अध्ययन कर स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया है कि आवेदक की व्यहवार वाद के

आदेश के विरूद्व जिला न्यायाधीश सिंगरौली में अपील प्रकरण कमांक 37अ/2013 विचाराधीन हैं, भूमि नगर निगम क्षेत्र की है तथा नजूल भूमि है। अतएव कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेश समवर्ती आदेश होने से कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1597/अपील/11—12 में पारित आदेश दिनांक 22.12.15 स्थिर रखा जाता है। अतः आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश की प्रति भेजी जावे। राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य